प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12/12/2022

FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

आज अदालत.......................

.......................रूमाली वगैरहा.......................मुकाम.......................

.......................बनाम.......................चरतलाल वगैरहा.......................

किस्म मुकदमा राज0 काश्त0 अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225..............नं.......78..........सन्.....2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/2022	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वामनवास जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नंबर 90/22 बउनवान चरतलाल बनाम रूमाली में पारित आदेश दिनांक 06.10.2022 से मियाद अन्दर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वामनवास जिला सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 06.10.2022 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा अन्दरोजा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 17.11.2022 तक इस कदर जारी की गई कि वे हाल आराजी ख.नं. 315 रकबा 0.72 हैक्टेयर स्थित ग्राम कोयला तहसील बामनवास के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करें। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने विवादित आराजीयात को अपनी खातेदारी में बताते हुए एक पक्षीय अन्तिरम स्थगन आदेश मातहत अदालत से प्राप्त कर लिया जबकि अपीलांटस् की ओर से कोई जवाब पेश नही हुआ, न ही अपीलांट के जवाब पर कहीं हस्ताक्षर है। मातहत अदालत को दुसरे पक्ष को भी सुनकर आदेश दिया जाना चाहिए था। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर	

सत्य-प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाण्टगण विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार है। इसी उनवान से खसरा नम्बर 315 रकबा 0.72 हैक्टेयर पर ही एक अन्य टी. आई. प्रार्थना पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास में मुकदमा नम्बर 05 दिनांक 11.01.22 को पेश हुआ था, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई। तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र में टी.आई. जारी कर दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 06.10.2022 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2022 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण विन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु [illegible] प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बावत माननीय [illegible] निम्नलिखित मार्गदर्शन प[illegible]

सत्य-प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।

2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत् 2076 ग्राम कोयला का अवलोकन किया गया, जिसमें अपीलाण्टगण व रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी खसरा संख्या 315 रकबा 0.72 हैक्टेयर के रेकार्डेड़ सहखातेदार काश्तकार है। यद्यपि यह तथ्य तो मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर ही तय होगा कि रेस्पाडेण्ट का किस प्रकार हित प्रभावित होगा हैं। चूंकि अपीलांट विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है अतः इस आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में पाया जाता है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक रेकॉर्डेड खातेदार व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत के आदेशिक दिनांक 06.10.2022 में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन अप्रार्थीगण/अपीलाण्टगण को बिना सुने ही एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों विन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हैं।

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

चतुर्थ, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिरिथति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण अत्यतावश्यकता ... के कारण एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई।

पंचम, जब अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी ... धारा 212 उनवान व समान आ...

सत्य-प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लम्बित है, और उसमें अन्तिरम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही हुई है, परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा पुनः समान पक्षकार समान आराजीयात के संबंध मे धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अदालत मातहत द्वारा अन्तिरम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जों विधि विरूद्व है। अपास्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के आदेश दिनांक 06.10.2022 को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 315 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम व पटवार हल्का कोयाला तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर का प्रचलन स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को कॉन्सोलिडेट कर, उभय पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 12.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

12/12/22

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner